



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 639 राँची, मंगलवार, 17 अग्रहायण, 1942 (श०)
08 दिसम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

19 नवम्बर, 2020

संख्या-5/आरोप-1-92/2017-11538 (HRMS)-- श्री राज किशोर प्रसाद, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-गिरिडीह), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामगढ़, दुमका के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-3239, दिनांक 22.06.2017 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों का शत-प्रतिशत निबंधन तथा Geo Tag नहीं करने एवं स्वीकृत लाभुकों का FTO Sign में कतिपय विलंब करने संबंधी आरोप प्रपत्र- 'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-8142, दिनांक 17.07.2017 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री प्रसाद के पत्रांक-1572, दिनांक 29.07.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा कहा गया है कि इनका डिजिटल हस्ताक्षर का अवधि दिनांक 21.03.2017 को ही समाप्त हो चुका था। डिजिटल हस्ताक्षर Renewal कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक-550, दिनांक 22.03.2017 एवं पत्रांक-736, दिनांक 19.04.2017 द्वारा उप विकास आयुक्त को भेजा गया। डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त होते ही तुरंत एफ0टी0ओ0 हस्ताक्षर कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभुकों का रजिस्ट्रेशन तकनीकी कठिनाईयों के

कारण थोड़ा विलम्ब से किया गया एवं वर्तमान में लक्ष्य का शत प्रतिशत रजिस्ट्रेशन एवं जियो टैगिंग कर लिया गया है।

श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-10398, दिनांक 06.10.2017 द्वारा उपायुक्त, दुमका से मंतव्य की माँग की गयी है। उपायुक्त, दुमका के पत्रांक-572, दिनांक 24.07.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें उपायुक्त, दुमका द्वारा श्री प्रसाद को आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की गई।

श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-8075, दिनांक 03.10.2019 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से भी मंतव्य की माँग की गई। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-2726, दिनांक 17.08.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उपायुक्त, दुमका के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री प्रसाद को आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की गई।

अतः समीक्षोपरांत, उपायुक्त, दुमका एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से प्राप्त मंतव्य से सहमत होते हुए श्री राज किशोर प्रसाद को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAJ KISHORE PRASAD 110001163101	श्री राज किशोर प्रसाद, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-गिरिडीह), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामगढ़, दुमका को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
